भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. †3339

उत्तर देने की तारीख 09.12.2019

विकास परियोजनाओं के लिए जनजातीय भूमि का विपथन

†3339. श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पाः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय भूमि को खनन, औद्योगीकरण और गैर-कृषि प्रयोजनों हेतु अधिगृहीत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अधिग्रहणों का जनजातीय समुदायों पर प्रभाव का आकलन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और औद्योगीकरण और अन्य विकास परियोजनाओं हेतु जनजातीय भूमि के अंधाधुंध अधिगृहीत/अन्यत्र प्रयोग को रोकने/नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क) से (ख) : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग (डीओएलआर) ने, जो भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों का निपटान करने के लिए नोडल मंत्रालय है, यह सूचित किया है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता, अधिकार अधिनियम, 2013 सहित विभिन्न केंद्रीय और राज्य अधिनियमों के तहत केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाता है और उक्त अधिनियम की धारा 3 (ङ) के तहत परिभाषा के अनुसार संबंधित सरकार द्वारा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को क्रियान्वित किया जाता है। भूमि संसाधन विभाग ने यह भी सूचित किया है कि वे राज्यों या अन्य प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहण (विस्थापित जनजातीय समुदायों सहित) से संबंधित आंकड़ों का रखरखाव, केन्द्रीय रूप से नहीं करते हैं।

(ग) से (घ) : आदिवासी भूमि के ऐसे अधिग्रहण के कारण आदिवासी समुदाय पर प्रभाव के बारे में सरकार को जानकारी है। आदिवासियों के भूमि अधिग्रहण और विस्थापन के मुद्दे को हल करने के लिए, आदिवासियों के भूमि अधिकारों को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधान निम्नानुसार पहले से ही विद्यमान हैं: -

(i) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 4 (5) में बताया गया है कि अन्यथा रूप में प्रदत्त वन निवासी अनुसूचित जनजातियों के किसी सदस्य या अन्य परम्परागत वन निवासी को, मान्यता तथा सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक उसके कब्जे वाली वन भूमि से बेदखल अथवा हटाया नहीं जाएगा।
(ii) सरकार ने भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (संक्षेप में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम , 2013) अधिनियमित किया है। उक्त अधिनियम का उद्देश्य भू-स्वामियों तथा अन्य प्रभावित परिवारों के लिए न्यूनतम अव्यवस्था के साथ भूमि अधिग्रहण हेतु एक मानवीय, सम्मिलित, संसूचित तथा पारदर्शी प्रक्रिया तथा संविधान के तहत स्थापित स्थानीय स्वशासन और ग्राम सभाओं के संस्थानों के साथ परामर्श से प्रभावित परिवारों, जिनकी भूमि अधिग्रहीत की गई है अथवा अधिग्रहीत की जाने हेतु प्रस्तावित है, के लिए न्याय तथा उचित प्रतिपूर्ति की प्रदायगी सुनिश्चित करना है।
(iii) अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संक्षेप में आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम , 2013 की धारा 48 के अंतर्गत आरएफसीटीएलएआरआर , 2013 तथा राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति , 2007 के तहत भूमि अधिग्रहण से संबंधित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन स्कीमों और योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करने के उद्देश्य के लिए भू-संसाधन विभाग के दिनांक 02 मार्च , 2015 के आदेश संख्या 26011/04/2007-एलआरडी के माध्यम से भू-संसाधन विभाग में पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु राष्ट्रीय स्तर की निगरानी समिति गठित की गई है।

(iv) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम , 2013 की धारा 41 तथा 42 के तहत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विस्थापन के विरुद्ध सुरक्षोपायों के रूप में विशेष प्रावधान किए गए हैं जो उनके हितों की सुरक्षा करते हैं। आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम , 2013 पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया तथा तरीका भी निर्धारित करता है।

(v) आरएफसीटीएलआरआर अधिनियम की पहली अनुसूची में भूमि धारकों के लिए प्रतिपूर्ति के प्रावधान करती हैं। दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची में प्रदत्त के अलावा सभी प्रभावित परिवारों (भूमि धारक तथा और ऐसे परिवार जिनकी आजीविका मुख्य रूप से अधिग्रहीत भूमि पर निर्भर है) के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन के तत्वों संबंधी प्रावधान करती है। इसी तरह , तीसरी अनुसूची में पुनर्स्थापन क्षेत्र में यथोचित आवास और योजनाबद्ध निपटान के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रावधान किए गए हैं।

(vi) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम , 1996 में यह व्यवस्था की गई है कि अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास करने से पूर्व अनुसूचित क्षेत्रों अथवा विकास परियोजनाओं में भूमि का अधिग्रहण करने से पूर्व ग्राम सभा अथवा पंचायतों से उपयुक्त स्तर पर परामर्श किया जाएगा ; अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक प्लानिंग तथा कार्यान्वयन का राज्य स्तर पर समन्वयन किया जाएगा।
(vii) अनुसूची-V के तहत संवैधानिक प्रावधानों में भूमि अधिग्रहण आदि के कारण जनजातीय जनसंख्या के विस्थापन के विरुद्ध सुरक्षोपाय भी दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य के राज्यपाल

को जनजातीय लोगों से भूमि के अन्य हस्तांतरण को निषेध करने अथवा प्रतिबंधित करने और ऐसे मामलों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि का आवंटन नियमित करने के लिए सशक्त किया गया है।

****